

# नगर निगम, जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAIPUR/FIRENOC/2025-26/61121  
जारी दिनांक: 25-MAY-2026 वैधता दिनांक: 24-MAY-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KIRAN KAVIYA  
आवेदक का पता: 6-332 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन GREEN TURTLE SCHOOL, 1167, VILLAGE DAULATPURA, TEH AMER JAIPUR, , JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। वैधता दिनांक बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटोप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटोप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Praveen Kumar  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: JAIPUR, Rajasthan  
Date: 25/05/2026 14:32:27

अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, जयपुर



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय बनीपार्क**  
**नगर निगम जयपुर (पार्ट-2)**

(सवाई जय सिंह हाईवे, नियर सप्तशक्ति कैंटीन, जयपुर)

क्रमांक:- एफ 9( ) अग्निशमन/ननिज/26-27/51

दिनांक:- 27/5/2026

**FIRE SAFETY CERTIFICATE**

Certified that the GREEN TURTLE SCHOOL 1167, Village Daulatpura, Teh Amer Jaipur comprised of Basement + Ground + First floor (B+G+1<sup>st</sup>) owned By KIRAN KAVIYA W/O Of MADHOSINGH occupied by GREEN TURTLE SCHOOL have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of fire Service on 19-05-2026 in the presence of KIRAN KAVIYA W/O Of MADHOSINGH and that the building/premises is fit for occupancy upto classes 12th with effect from 2026-2028 for a period of TWO year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

शर्तों:- उक्त अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र पूर्व में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक:- LSG/JAIPUR/FIRENOC/2025-26/61121 जारी दिनांक 25.05.2026 से 24.05.2028 तक की शर्तों के आधार पर संशोधित FIRE SAFETY CERTIFICATE जारी किया जाता है अग्निशमन यन्त्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेण्ट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् की अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अग्निशमन यन्त्रों को चलाये जाने हेतु एक फायर का प्रशिक्षित कर्मचारी हर समय रखा जाना आवश्यक होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 की शर्तों की पालना अनिवार्य होगी।

issued on 25-05-2026 at Jaipur.

Signature with Seal:

Name:- Devendra Kumar Meena

Designation:- Chief fire officer

Name & Address of Department/Office:

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
Chief fire office, Nagar Nigam Jaipur  
part-2 Swai Mansingh Highway  
Banipark Jaipur

To,

GREEN TURTLE SCHOOL,  
1167, VILLAGE DAULATPURA,  
TEH AMER JAIPUR.

**ENDORSEMENT**

The No Objection certificate issued by fire service stand cancelled an annulled due to 10-02-2028 (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)